रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218778
CG-DL-E-18032020-218778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1021] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941
No. 1021] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

का.आ. 1129(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (5) तथा धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उसकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधियियम, 2020 (2020 का 3) अभिप्रेत है;

(ख) ''विवाद'' का अर्थ अपीलीय फोरम के समक्ष घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील, रिट या फाइल की गई विशेष इजाज़त याचिका या अपील या विशेष इजाज़त याचिका, माध्यस्थम, सुलह, या आरंभ की गई मध्यकता, या उसके लिए दी गई सूचना, या दाखिल किए गए आक्षेप या आयकर अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष दाखिल किए जाने वाले, या आयकर अधिनियम की धारा 264 के अधीन फाइल किए गए आवेदन है;

(ग) "पात्र तलाशी मामले" से ऐसे मामले अभिप्रेत हैं जिसमें कोई निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन आरंभ की गई तलाशी के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन किया गया है और विवादित कर की रकम पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है;

(घ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ङ) "घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे" से ऐसे मुद्दे अभिप्रेत हैं जिनके संबंध में—

(i) अपीलीय फोरम के समक्ष आयकर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील, या रिट, या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या अपील या विशेष इजाज़त याचिका फाइल की जानी है या

(ii) घोषणाकर्ता द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई अपील फाइल की गई है या फाइल की जानी है या विवाद समाधान पैनल के समक्ष कोई आक्षेप फाइल किया गया है या फाइल की जानी है, जिस पर वह आयकर अपीलीय अधिकरण (जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है) से उसके पक्ष में पहले से ही कोई निर्णय हुआ है या उच्च न्यायालय (जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है), या

(iii) आयकर अपीलीय अभिकरण के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा कोई अपील फाइल की गई है या फाइल की जानी है जहां उच्च न्यायालय (जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है) से उसके पक्ष में कोई पहले से ही निर्णय हुआ है;

(च) "धारा" से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) अभिप्रेत है;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमश: उनके उस अधिनियम में हैं।

3. घोषणा और वचनबंध का प्ररूप.- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा अभिहित प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप-1 में की जाएगी।

(2) धारा 4 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट वचनबंध घोषणा के साथ-साथ प्ररूप-2 में दी जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन घोषणा और उपनियम (2) के अधीन वचनबंध को, यथास्थिति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अनुसरण में, अपनी ओर से आय के विवरणी सत्यापित करने हेतु घोषणाकर्ता या किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

(4) घोषणा की प्राप्ति पर अभिहित प्राधिकारी उसकी अभिस्विकृति का इलैक्ट्रानिक रूप से एक रसीद देगा।

4. अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र का प्ररूप.- अभिहित प्राधिकारी प्ररूप-3 में धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. संदाय की सूचना.- अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसरण में किए गए संदायों का ब्योरा प्ररूप-4 में अभिहित प्राधिकारी के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा अपील, रिट याचिका, विशेष इजाज़त याचिका, माध्यस्थम, सुलह, मध्यकता या फाइल किए गए दावा के प्रत्यहरण के सबूत के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा।

6. देने की रीति.—नियम 3 में निर्दिष्ट प्ररूप-1 और प्ररूप-2 तथा नियम 5 में निर्दिष्ट प्ररूप-4 अंकीय हस्ताक्षर के तहत इलैक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा, यदि आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के तहत देने के लिए या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से अन्य मामलों में देने की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 12 में निर्दिष्ट किया गया है।

7. अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश .- धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाणपत्र के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के संदाय के संबंध में धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-5 में आदेश दिया जाएगा।

8. प्रक्रिया, रूपविधान और मानकों का अभिकथन.- मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति, नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप-1 में घोषणा करना और सत्यापित करना, नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन प्ररूप-2 में वचनबंध देने और सत्यापित करना, नियम 4 के अधीन प्ररूप-3 में प्रमाणपत्र का जारी करने, नियम 5 के अधीन प्ररूप-4 में संदाय की सूचना और प्रत्याहरण का सबूत देने और नियम 7 के अधीन प्ररूप-5 में आदेश को जारी करने के लिए प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों का अभिकथन करेगा तथा मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उक्त घोषणा, वचनबंध, प्रमाणपत्र, सूचना और आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखन और पुन: प्राप्ति की नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. **ऐसे मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति जहां हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है.-** (1) जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई विवाद आयकर अधिनियम के अधीन अग्रनीत होने के लिए हानि या शेष अवक्षयण में कटौती से संबंधित है, घोषणाकर्ता को यह विकल्प होगा कि—

(i) रकम का संदाय हानि या शेष अवक्षयण द्वारा पर अधिभार और उपकर को सम्मिलित करते हुए विवादित कर में कमी करता है और हानि या शेष अवक्षयण में कटौती की ऐसी रकम को छोड़कर हानि या शेष अवक्षयण को अग्रनीत करते हुए कर को शामिल करना; या

(ii) हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम को अग्रनीत करना।

(2) जहां घोषणाकर्ता उपनियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह ब्याज के साथ-साथ, यदि कोई हो, पश्चातवर्ती वर्षों में हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम को अग्रनीत करने के परिणामस्वरूप अधिभार और उपकर सहित कर के संदाय का दायी होगा:

परंतु वर्ष के अंतिम दिन आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य को, उसके संबंध में जिसमें शेष अवक्षयण की कटौती की गई है, शेष अवक्षयण में कटौती की रकम द्वारा वृद्धि नहीं होगी:

परंतु यह और कि पात्र तलाशी मामलों से भिन्न मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में आधी रकम जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में, **रकम का एक और एक चौथाई** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा और जहां **रकम का एक और एक चौथाई** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण इसकी कटौती के पूर्व अग्रनीत की गई हानि की रकम से अधिक की कमी की गई है ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में, रकम का **5/8वां** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है।

10. ऐसे मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति जहां न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) प्रत्यय की कमी की गई है.— **(1)** जहां अग्रनीत होने के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) प्रत्यय में कटौती के संबंध में निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई विवाद है, घोषणाकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि—

(i) ऐसी रकम को शामिल करें जिसके द्वारा अग्रनीत होने वाली एमएटी प्रत्यय की विवादित कर में कटौती की गई है और कटौती की ऐसी रकम को छोड़ते हुए एमएटी प्रत्यय को अग्रनीत किया गया है, या

(ii) कटौती की गई एमएटी प्रत्यय को अग्रनीत करना।

(2) जहां घोषणाकर्ता उपनियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह ब्याज के साथ-साथ, यदि कोई हो पश्चातवर्ती वर्षों में कमी की गई एमएटी प्रत्यय की रकम को अग्रनीत करने के परिणामस्वरूप अधिभार और उपकर सहित कर के संदाय का दायी होगा:

परंतु यह और कि पात्र तलाशी मामलों से भिन्न मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में आधी रकम जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलो में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में, **एक और एक चौथाई रकम** जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा और जहां **एक और एक चौथाई रकम** जिसमें एमएटी प्रत्यय इसकी कटौती के पूर्व अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की रकम से अधिक की कमी की गई है ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में, रकम का **5/8** जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए एमएटी प्रत्यय का अर्थ, आयकर अधिनियम की धारा 115जकक और धारा 115जघ के उपबंधों के अनुसार कर प्रत्यय है।

11. कतिपय मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति- (1) जहां विवाद में घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे सम्मिलित हैं, ऐसे मुद्दों के संबंध में विवादित कर ऐसी रकम होगी जो विवाद में सभी मुद्दों पर संदाय अधिभार और उपकर को सम्मिलित करते हुए कर देता है, वही अनुपात घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दों के संबंध में विवादित आय के रूप में विवाद के सभी मुद्दों के संबंध में विवादित आय के लिए देता है।

प्ररूप-1
(नियम 3 देखें)
घोषणा पत्र भरने के लिए प्ररूप

भाग क – सामान्य जानकारी

पैन/ आधार											आवेदक का नाम	टैन										मोबाईल संख्या								

ई-मेल पता

पात्रता से संबंधित जानकारी

	आवेदक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (डीटीवीएसवी) की धारा 2 के निबंधनानुसार आवेदक है और डीटीवीएसवी की धारा 9 के निबंधनानुसार आवेदन करने के लिए अयोग्य	हां	नहीं

आवेदक द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प
घाटे या मूल्यह्रास या मैट क्रेडिट की कमी पर कर का भुगतान करने का चयन
यदि हां ए के अधीन सुसंगत अनुसूची के लिए जाना; यदि अनुसूची घ नहीं भरता है

भाग ख – विवाद से संबंधित जानकारी

कर बकाया की प्रकृति	विवादित कर / विवादित ब्याज / विवादित जुर्माना / विवादित शुल्क	विवादित कर के संबंध में अपील के अधीन कवर की गई घोषणा और विवादित कर के संबंध में अधिरोपित किया गया जुर्माना। हां/नहीं	
आदेश का विवरण जिसके द्वारा कर बकाया निर्धारित किया गया है	(ई-उपयोगिता में उपबंध करने के लिए ड्रॉप डाऊन)	लंबित मामलों के ब्यौरे* अपील/याचिका/एसएलपी/डीआरपी आक्षेप/पुनर्विलोकन आवेदन- *लंबित मामलों में फाइल किया जाना भी सम्मिलित है	(ई-उपयोगिता में उपबंध करने के लिए ड्रॉप डाऊन)

भाग ग – कर बकाया से संबंधित जानकारी

(i)	कर बकाया (अनुसूची के अनुसार)	

भाग घ – देय राशि से संबंधित जानकारी

(ii)	घटीवीएसवी के अधीन देय कुल राशि यदि 31.03.2020 के बाद भुगतान किया जाता है	सुसंगत अनुसूची से भ से उठाना (दोनों निर्धारिती तथा विभाग की अपील के मामले में उस पर जोड़ा जाना)
(ii)	घटीवीएसवी के अधीन देय कुल राशि यदि 31.03.2020 के बाद भुगतान किया जाता है	सुसंगत अनुसूची से म से उठाना (दोनों निर्धारिती तथा विभाग की अपील के मामले में उस पर जोड़ा जाना)

भाग ड – कर बकाया के विरुद्ध भुगतान से संबंधित जानकारी

(i)	घोषणाकर्ता ने घोषणा पत्र फाइल करने से पहले कर बकाया के विरुद्ध कोई भुगतान किया है या नहीं?	हां	नहीं
(ii)	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित विवरण भरें		

क्रम सं.	संदाय की तारीख	रकम	बीएसआर कोड
1.			

(iii)	कर बकाया के विरुद्ध कुल भुगतान	
भाग च	आवेदक द्वारा देय/वापस यथास्थिति योग्य शुद्ध राशि: भाग घ (i) या घ (ii) सकता है, कम भाग ड (iii)	

सत्यापन

मैं... का पुत्र/पुत्री श्री... (बड़े अक्षरों में नाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ज्ञान और विश्वास से सबसे अच्छा करने के लिए इसमें दी गई जानकारी घोषणा सही और पूर्ण है और प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैं अपनी क्षमता से यह घोषणा कर रहा हूं क्योंकि (प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन) .... और मैं इस घोषणा को करने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या धारक हूं (यदि आवंटित किया जाता है)

स्थान..................

तारीख....................

घोषणाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

अनुसूची क लागू होती है जहां घोषणा विवादित कर से संबंधित होती है (पैन के मामले में लागू)

संयोजन: विवादित कर + सीआईटी (ए) + निर्धारिती

अनुसूची I. 31.01.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारिती की लंबित है या सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारिती द्वारा अपील फ़ाईल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध फ़ाईल की गई अपील या फ़ाईल की जानी है		क	
ख	एक से बाहर विवादित आय			
	(i)	उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii)	ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	बी(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर।		ग	
घ	ख(ii) विवादित आय के संबंध में विवादित कर		घ	
ड.	गआईटी(क) द्वारा वृद्धि का कर प्रभाव, यदि कोई हो,		ड.	
च	कुल विवादित कर (ग+घ+ड)		च	
छ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज		छ	
ज	विवादित कर पर वसूला जुर्माना		ज	
झ	बकाया कर (च+छ+ज)		झ	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.5*ग+घ+ई यदि खोज मामला 0.625*ग+1.25*घ+1.25*ई		भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55*ग+1.1*घ+1.1*ई यदि खोज मामला 0.675*ग+1.35*घ+1.35*ई		म	

संयोजन: विवादित कर + डीआरपी ड्राफ्ट आदेश + निर्धारिती

अनुसूची II. ड्राफ्ट निर्धारण आदेश के विरुद्ध निर्धारिती ने डीआरपी के साथ आक्षेप फ़ाईल की है के मामले में भरा जाएगा और 31.01.2020 को डीआरपी ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है या एओ द्वारा पारित प्रारूप आदेश के विरुद्ध आक्षेप भरने की समय-सीमा 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुई है।

क	प्रारूप आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध आपत्ति की जानी है या फ़ाईल की जानी है		क	
ख	ए से बाहर विवादित आय -			
	(i)	उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii)	ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर		ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर		घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)		ड.	
च	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज		च	
छ	विवादित कर पर लगाया जुर्माना		छ	
ज	बकाया कर (ड+च+छ)		ज	
झ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.5*ग+घ यदि खोज मामला 0.625*ग +1.25*घ		झ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55*ग+1.1*घ यदि खोज मामला 0.675*ग+1.35*घ		म	

संयोजन: विवादित कर+डीआरपी दिशा + निर्धारिती

अनुसूची III. डीआरपी ने निर्धारिती द्वारा फ़ाईल किए गए आक्षेपों के प्रत्युत्तर में अधिनियम की धारा 144 ग के निर्देश जारी किए हैं मामले में फाइल किए जाएंगे एवं निर्धारण अधिकारी 31.01.2020 को डीआरपी द्वारा जारी ऐसे निर्देशों के अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया है।

क	घआरपी के निर्देशानुसार कुल आय		क	
ख	ए से बाहर विवादित आय			
	(i)	उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है) या उच्च न्यायालय (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii)	ख(i) के सिवाय अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i)में विवादित आय के संबंध में विवादित कर		ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर		घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)		ड.	
च	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज		च	
छ	विवादित कर पर लगाया जुर्माना		छ	
ज	बकाया कर (ड+च+छ)		ज	

भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.5*ग+घ यदि खोज मामला 0.625*ग+1.25*घ	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55 *ग+1.1*घ यदि खोज मामला 0.675*ग+1.35*घ	म	

संयोजन: विवादित कर+आईटीएटी+निर्धारिती

अनुसूची IV. निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आईटीएटी के समक्ष लंबित है या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी है		**क**	
	क से बाहर विवादित आय			
ख	**(i)**	उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	**ख**(i)	
	(ii)	ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	**ख**(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर		**ग**	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर		घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)		**ड.**	
च	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज		च	
छ	विवादित कर पर वसूला जुर्माना		छ	
ज	कर बकाया (ड.+च+छ)		ज	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.5*ग+घ यदि खोज मामला 0.625*ग+1.25*घ		**भ**	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55*ग+1.1*घ यदि खोज मामला 0.675*ग+1.35*घ		म	

संयोजन: विवादित कर + आईटीएटी + विभाग

अनुसूची V. विभाग की अपील 31.01.2020 को आईटीएटी के समक्ष लंबित है या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध फ़ाईल की गई अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी है	**क**	
ख	क से बाहर विवादित आय	**ख**	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	**ग**	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	**घ**	
ड.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	**ड.**	
च	बकाया कर (ग+घ+ई)	**च**	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.5*ग यदि खोज मामला 0.625*ग	**भ**	

म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55*ग यदि खोज मामला 0.675*ग	**म**	

संयोजन: विवादित कर+एचसी+निर्धारिती

अनुसूची VI. निर्धारिती की अपील या याचिका 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या एचग में निर्धारिती द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई या अपील फ़ाईल की जाएगी	क	
ख	क से बाहर विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	घ	
ङ.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ङ.	
च	कर बकाया (ग+घ+ई)	च	
भ	घटीवीएसवी के अधीन देय राशि 31.03.2020 को या उससे पहले यदि गैर खोज मामला ग यदि खोज मामला 1.25*ग	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 1.1*ग यदि खोज मामला 1.35*ग	म	

संयोजन: विवादित कर+एचसी+विभाग

अनुसूची VII. विभाग की अपील या याचिका 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या एचग में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई या अपील फ़ाईल की जाएगी	क	
ख	ए से बाहर विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	घ	
ङ.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ङ.	
च	कर बकाया (ग+घ+ङ.)	च	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.5*ग यदि खोज मामला 0.625*ग	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55*ग यदि खोज मामला 0.675*ग	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + एससी + निर्धारिती

अनुसूची VIII निर्धारिती को अपील या रिट या विशेष अनुमति याचिका 31.01.2020 तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका या फाइल की जाने वाली अपील विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्गृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला ख खोजा नहीं गया है, यदि मामला 1.25*ग खोज लिया गया है।	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*ग खोज लिया गया है	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + एससी + विभाग

अनुसूची IX विभाग को अपील या रिट या विशेष अनुमति याचिका का 31.01.2020 तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है या विभाग द्वारा एसग में अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका या फाइल की जाने वाली/विशेष अनुमति याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्गृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला खोजा नहीं गया है 0.5*ग यदि मामला खोजा गया है 0.625*ग	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*ग खोजा गया है	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + 264 + निर्धारिती

अनुसूची X धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन 31.01.2020 तक पीसीआईटी/सीआईटी के समक्ष लंबित है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के अतिरिक्त विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्गृहीत शास्ति	ड.	

च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.25ग खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है। यदि मामला 1.35*ग खोजा गया है।	म	

संयोजन: विवादग्रस्त कर + माध्यस्थम/सुलह/मध्यस्था + निर्धारिती

अनुसूची XI निर्धारिती के माध्यस्थम या सुलह या मध्यस्थता का 31.01.2020 तक तक लंबित होने, की दशा में भरें।

क	माध्यस्थम/सुलह/मध्यस्थता के फाइल किए जाने के विरुद्ध कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख पर विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्गृहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला ग खोजा नहीं गया है, यदि मामला 1.25*ग खोजा गया है।	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*ग खोजा गया है।	म	

ख. अनुसूची लागू होगी जहां विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस (टीएएन के लिए लागू) से संबंधित घोषणा है।

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+सीआईटी(ए)+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 1 निर्धारिती की अपील 31.01.2020 तक सीआईटी(ए) के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा सीआईटी(ए) के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	**अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम**		क	क(i)+क(ii)
	(i)	विवाद्यकों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए उनके संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया हैं) या उच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उल्टा नहीं गया है।)	क(i)	
	(ii)	क(i) से अन्यथा विवाद्यक से संबंधित	क(ii)	
ख	का प्रभाव की वृद्धी, यदि कोई हो, सीआईटी (क) द्वारा		ख	
ग	विवादग्रस्त **टीडीएस/टीसीएस** पर भारित ब्याज		ग	
घ	विवादग्रस्त **टीडीएस/टीसीएस** पर उदगृहीत शास्ति		घ	
ड.	**टीडीएस/टीसीएस** बकाया कर (क+ख+ग+घ)		ड.	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क(i)+क(ii)+ख खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क(i)+1.25*क(ii)+1.25*ख खोजा गया है		भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क(i)+1.35*क(ii)+1.35*ख खोजा गया है		म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 2 निर्धारिती की अपील 31.01.2020 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा आईटीएटी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम		क	क(i)+क(ii)
क	(i)	विवाद्यकों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए उनके संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है)	क(i)	
	(ii)	क(i) से अन्यथा विवाद्यक से संबंधित	क(ii)	
ख	का प्रभाव की वृद्धी, यदि कोई हो, गआईटी (क) द्वारा		ख	
ग	विवादग्रस्त **टीडीएस/टीसीएस** पर उदग्रहीत शास्ति		ग	
घ	**टीडीएस/टीसीएस** बकाया कर (क+ख+ग)		घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5* क(i)+क(ii) खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क(i)+1.25*क(ii) खोजा गया है		भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55* क(i)+1.1*क(ii) खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क(i)+1.35*क(ii) खोजा गया है		म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+विभाग

अनुसूची 3 विभाग की अपील 31.01.2020 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	**टीडीएस/टीसीएस** व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त **टीडीएस/टीसीएस** पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त **टीडीएस/टीसीएस** पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	**टीडीएस/टीसीएस** बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एचसी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 4 निर्धारिती की अपील या रिट 31.01.2020 तक उच्च न्याययलय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्च न्याययलय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	**टीडीएस/टीसीएस** व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त **टीडीएस/टीसीएस** पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त **टीडीएस/टीसीएस** पर उदग्रहीत शास्ति	ग	

घ	**टीडीएस/टीसीएस** बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.25*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एचसी+विभाग

अनुसूची 5 विभाग की अपील या रिट 31.01.2020 तक उच्च न्याययलय के समक्ष लंबित या एचग में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एससी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 6 निर्धारिती की अपील या रिट या विशेष इजाज़त याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या निर्धारीति द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाज़त याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस **की रकम**			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या फाइल की जानी है		
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उद्ग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.25*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 1.35*क खोजा गया है	म	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एसग+विभाग

अनुसूची 7 विभाग की अपील या रिट या विशेष इजाज़त याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा एचग में अपील या विशेष इजाज़त याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस **की रकम**			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या फाइल की जानी है	क	
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है यदि मामला 0.675*क खोजा गया है	म	

संयोजन : विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस+ 264+ डिडक्टर/ कलेक्टर

अनुसूची VIII. 31.1.2020 को पी सी आई टी/ सी आई टी के समक्ष लंबित धारा 264 के अधीन निर्धारिती के पुनरीक्षण आवेदन की दशा में भरा जाए

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस की राशि			
क	टी डी एस/ टी सी एस व्यतिक्रम जिसके लिए पुनरीक्षित आवेदन दायर किया गया	क	
ख	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर लगाया गया ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर उदग्रहीत जुर्माना	ग	
घ	बकाया टी डी एस/ टी सी एस(क+ ख + ग)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैर तैलाशी मामला क यदि गैर तलाशी मामला 1.25* क	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क यदि तलाशी मामला 1.35 * क	म	

संयोजन: विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस मध्यस्थता / सुलह / मध्यकता / निर्धारिती

अनुसूची IX. 31.1.2020 को निर्धारिती के समक्ष लंबित मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता की दशा में भरा जाए

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस की राशि			
क	टी डी एस /टी सी एस व्यतिक्रम के लिए मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता फाइल की गई है।	क	
ख	विवादग्रस्त टी डी एस /टी सी एस पर लगाया गया ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर उदग्रहीत जुर्माना	ग	
घ	बकाया टी डी एस /टी सी एस(क+ ख + ग)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैर तलाशी मामलों 1.25* क		

म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क यदि तलाशी मामला 1.35 * क		
ग. अनुसूची, जहां घोषणा केवल विवादग्रस्त जुर्माना, ब्याज या शुल्क से संबंधित है, लागू करें (पी ए एन और टी ए एन के लिए लागू)			

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + सी आई टी (ए) + निर्धारिती

अनुसूची I: निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को सी आई टी (ए) के समक्ष लंबित या सी आई टी (ए) के समक्ष अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ ब्याज/ शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई या की जाने वाली है।		
ख	विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज/ शुल्क की राशि (क) में से	क	
	(i) विवाद्यकों से संबंधित, जो कि आई टी ए टी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उसके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	ख(i)+ ख(i)
	(ii) ख (i) से अन्यथा विवाद्यक से संबंधित	ख(ii)	
ग	सी आई टी (क) दवारा बढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित जुर्माना या ब्याज या शुल्क		
घ	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)+ ग	घ	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125* ख (i)+0.25* ख (ii)+0.25* ग	भ	
म	31.03.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय़ राशि=0.15*ख (i)+0.3*ख (ii)+0.3*ग	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + आई टी ए टी + निर्धारिती

अनुसूची II : निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आई टी ए टी के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा आई टी ए टी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ब्याज/शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के कारण विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज/ शुल्क	ख	ख(i)+ख (ii)
	(i) विवाद्यकों से संबंधित, जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उनके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii) ख (ii) से अन्यथा विवाधक से संबंधित से अन्यथा	ख (ii)	
ग	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)	ग	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि = 0.125* ख(i)+0.25* ख (ii)	भ	
म	31.03.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय़ राशि = 0.15*ख(i)+0.3*ख (ii)	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + आई टी ए टी + विभाग

अनुसूची III. निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आई टी ए टी के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा आई टी ए टी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ब्याज/शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	विवाद्यकों से संबंधित विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज /शुल्क जिस पर अपील फाइल की गई है या की जाने वाली है	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.15*ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्च न्यायालय + निर्धारिती

अनुसूची IV. निर्धारिती की अपील या रिट 31.01.2020 को उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायलय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क अपील में देय	ख	
ग	बकाया टैक्स ख	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.3*ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्च न्यायालय + विभाग

अनुसूची V. विभाग की अपील या रिट 31.01.2020 को उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा उच्च न्यायलय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	अपील में उठाए गए विवाधकों पर विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क बनाए रखना	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.15*ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्चतम न्यायालय + निर्धारिती

अनुसूची VI निर्धारिती की अपील या रिट या एस एल पी 31.01.2020 को उच्चतम न्यायलय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्चतम न्यायलय के समक्ष अपील या एस एल पी फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क अपील में देय	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.25*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.3 *ख	म	

संयोजन : विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्चतम न्यायालय + विभाग

अनुसूची VII . विभाग की अपील या रिट या एस एल पी 31.01.2020 को उच्चतम न्यायलय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा उच्चतम न्यायलय के समक्ष अपील या एस एल पी फाईल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाईल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	अपील में उठाए गए विवाद्यकों पर विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क बनाए रखना	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0. 15*ख	म	

संयोजन विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस+ 264+निर्धारिती

अनुसूची VIII. 31.1.2020 को पी सी आई टी/ सी आई टी के समक्ष लंबित धारा 264 के अधीन निर्धारिती के पुनरीक्षण आवेदन की दशा में भरा जाए।

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस की राशि			
क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित आवेदन फाईल किया गया	क	
ख	विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क पुनरीक्षित आवेदन में उठाए गए विवाद्यकों पर	ख	
घ	बकाया टैक्स (ख)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= (0.25*ख)	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= (0.3 *ख)	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज और शुल्क +मध्यस्थता /सुलह / मध्यकता + निर्धारिती

अनुसूची IX : 31.1.2020 को निर्धारिती के समक्ष लंबित मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता की दशा में भरा जाए

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस की राशि			
क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता फाईल किया गया है	क	
ख	विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क मध्यस्थता (ख) में उठाए गए विवाद्यकों पर	ख	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला क यदि गैर तलाशी मामला 1.25* क	भ	
म	3.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क यदि तलाशी मामला 1.35 * क	म	

अनुसूची घ यदि अपीलार्थी द्वारा अवनत हानि /मूल्य ह्रास का प्रभाव रखने वाले अतिरिक्तों पर या अग्रनीत किए गए एम ए टी प्रत्यय पर कर का संदाय नहीं किए जाने का चयन किया जाता है तब निम्नलिखित अनुसूची के सुसंगत स्तंभ से भरा जाए।

शेष हानि /मूल्य ह्रास/एम ए टी प्रत्यय	शेष हानि	शेष मूल्य ह्रास	एम ए टी प्रत्यय
निर्धारिती द्वारा लाए गए दावे के रूप में (क)			
निर्धारिती द्वारा आगे किए गए दावे के रूप में (ख)			
विवादग्रस्त आय (ग)			
आयकर प्राधिकारियों के आदेशानुसार लाया जाना (घ)			
आयकर प्राधिकारियों के आदेशानुसार आगे बढ़ाना (ड.)			

अनुदेश देखें:

प्ररूप-2

[नियम 3 (2) देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वचनबंध

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

सेवा में,

अभिहित प्राधिकारी

....

....

महोदय/महोदया,

*मैं, ... (नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री श्री....................पैन/आधार संख्या............... प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के फायदे का उपभोग करने के लिए, ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो कानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईत्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों को त्याग देने का विनिश्चय करता हूँ।

*मैं, ...नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र /पुत्री श्री ....पदनाम..........हूँ मुझे .... (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका पैन/आधार संख्या............. है ....(घोषणाकर्ता का नाम) की ओर से मैं इस संबंध में सम्यक रूप से प्राधिकृत और सक्षम हूँ प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के फायदे के उपभोग करने के लिए ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो कानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ किसी करार, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईत्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों को त्याग देने का विनिश्चय करता हूँ।

उपरोक्त वचनबंध अप्रतिसंहरणीय है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों से अवगत हूँ।

....

हस्ताक्षर

स्थान............ ....

पदनाम

तारीख............ ....

घोषणाकर्ता का पैन/आधार संख्या

टिप्पण :

इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें ।

प्ररूप –1 में घोषणा के समय कर बकाया की बाबत भी वचनबंध दिया जाए ।

प्ररूप-3

[नियम 4 देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

श्री/श्रीमती/कुमारी.......... (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) पैन/आधार संख्या .... ने अधिनियम की धारा 4 के अधीन घोषणा फाइल किया है ;

और उक्त घोषणा अभिहित प्राधिकारी के कार्यालय में तारीख .... को प्राप्त हुई है ।

अतः, अब, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित रकम अधिनियम के अधीन उक्त घोषणा के अंतर्गत आने वाला कर बकाया के पूर्णतः और अंतिमतः परिनिर्धारण के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा संदाय किए जाने के लिए अवधारित किए गए हैं :

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष	विवाद समाधान के ब्यौरें	कर-बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित आस्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)	कर-बकाया (रु.)	धारा 3 के अधीन संदेय रकम	कर-बकाया के लिए स्वतः संदाय रकम	संदेय/प्रतिदेय के लिए शेष रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)

घोषणाकर्ता को निदेशित किया जाता है कि वह संदेय राशि का संदाय रकम, यदि कोई हो, इस प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उपरोक्त स्तंभ (7) के अनुसार करे।

उक्त अवधि के भीतर संदेय रकम के असंदाय की बाबत प्ररूप-1 के अधीन घोषणा को शून्य समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह कभी नहीं दिया गया है।

प्रमाणपत्र सं. ....

स्थान .... अभिहित प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, और मोहर

तारीख ....

प्ररूप-4

[नियम 5 देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन संदाय की सूचना

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

सेवा में,

अभिहित प्राधिकारी

....

....

महोदय/महोदया,

1. प्ररूप-3 में अभिहित प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र के अनुसरण में प्रमाणपत्र सं. .... तारीख ....की बाबत .... (घोषणाकर्ता का नाम) पैन/आधार संख्या/टैन................... ए.वाई./एफ.वाई के लिए संदाय किए गए हैं जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	बैंक की बी.एस.आर. कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्र.सं.	रकम (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. अपील, रिट याचिका, विशेष इजाज़त याचिका, माध्यस्थम, सुलह, मध्यकता या दावा का प्रत्याहरण किया गया है (कृपया प्रत्याहरण का सबूत अपलोड करें) ।

स्थान : ....

तारीख : ....

प्ररूप-5

[नियम 7 देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 9 के साथ पठित धारा 5(3) के अधीन कर बकाया का पूर्णतः और अंतिमतः परिनिर्धारण के लिए आदेश

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वाश नियम, 2020 .... (घोषणाकर्ता का नाम और पैन/आधार सं./टैन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने अधिनियम की धारा 4 के अधीन घोषणा किया था ;

और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय/वापस किए गए रूपए........... की रकम को अवधारित करने के आदेश की तारीख............. द्वारा अभिहित प्राधिकारी के कर बकाया का पूर्णतः और अंनिमतः परिनिर्धारण के संबंध में ऐसे अवधारणा के पश्चात् कर बकाया और संदेय/वापस किए गए रकम की विशिष्टियाँ उसमें उपवर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) आदेश पत्र सं.................... तारीख............... में अवधारित कर बकाया का पूर्णतः और अंतिमतः परिनिर्धारण के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा .... रूपए की रकम का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) निम्नलिखित सारणी में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कर बकाया की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए कोई कार्यवाही संस्थित करने से या उक्त अधिनियमिति (अधिनियम की धारा 6 के अनुसार) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई है :

निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष	**निपटाये गए विवादों का ब्यौरा**	**कर बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित शास्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)**	**कर बकाया की रकम**

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन घोषणा करते हुए कर स्थिति के स्वीकृति नहीं करेगा और यह आयकर प्राधिकारी या घोषणाकर्ता के लिए अपील या रिट याचिका या विशेष इजाज़त याचिका में एक पक्षकार होते हुए विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह प्रतिवाद करे कि घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, विवाद के निपटारे के लिए विवादित मुद्दे पर निर्णय में उपमत हो।

स्थान.............................. ....

तारीख................................ अभिहित प्राधिकारी

सेवा में,

(1) घोषणाकर्ता

(2) निर्धारण अधिकारी

(3) संबद्ध प्रधान आय-कर आयुक्त

(4) संबद्ध अपीलीय फोरम

टिप्पण : जो लागू न हो, उसे काट दें ।

[अधिसूचना सं. 18/2020/फा.सं./ IT(A)/1/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव